फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम सरकार आदि

नाम न्यायालय उपजिलाधिकारी [illegible]

केस संख्या 126/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		रजि० डाक रसीद प्राप्त। किन्तु शासकीय अधिवक्ता [illegible] नहीं। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी हेतु दिनांक 13/11/25 को पेश हो। [signature] उपजिलाधिकारी [illegible]
	13/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित शासकीय प्रतिवादीगण अनुप०। शेष प्रतिवादीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादी सं० 5,10,12,13,14 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रतिवादी सं० 2,3,8 ने जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 16/11/25 को पेश हो। [signature] उपजिलाधिकारी [illegible]
	16/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय

फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम कलक्टर आदि
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
.../2013

...या ...ी	आज्ञा विस्तृत रूप से
	पक्षों की बहस को सुना किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92 ए रा0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली को नियमित पृथक से लिया जाकर शामिल रजिस्टर किया जाये। नियमित आज सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद प्राप्ति दाखिल दफ्तर हो।

...अधिकारी

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
126 / 2013	12 / 08 / 2013	16 / 01 / 2025

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रेवड जाति मीणा निवासी ग्राम रूपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र नन्दा
2. बाबूलाल पुत्र नन्दा
3. सुरेश पुत्र कल्याण
4. गौतम पुत्र कल्याण
5. फैली पुत्र कल्याण
6. रमेश पुत्र कल्याण
7. कमलेश पुत्र बाबूलाल
8. मुकेश पुत्र बाबूलाल
9. प्रकाश पुत्र बाबूलाल
10. मनफूली पत्नी बाबूलाल
11. लाली पत्नी कल्याण
12. सन्ता पत्नी रमेश
13. सुनिता पत्नी फैली
14. काली पत्नी गौतम
15. राधा पत्नी सुरेश

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम रूपवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री राजेश कुमार पारीक :— वकील वादी।
श्री महेश शर्मा :— प्रतिवादी सं0 2, 3, व 8

दावा बाबत स्थाई व्यादेश

अन्तर्गत धारा 92 ए राज0 काश्तकारी अधि0

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादी की रिकार्डेड गैर खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 94 / 1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 302 रकबा 0.81है0 है ग्राम रूपवास तहसील जमवारामगढ में स्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी की गैर खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई लेना देना संबंध सरोकार नही है और ना ही प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार है। वादी उक्त भूमि पर बहैसियत गैर खातेदार काबिज है, प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत रखते है आये दिन वादी के कब्जे

(५२)

काश्त में दखल उत्पन्न करते है। प्रतिवादीगण का कोई सरोकार उक्त वर्णित भूमि से नही है परन्तु प्रतिवादीगण एकजुट होकर तथा एकराय होकर आपस मे साजिश करके वादी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का कई मर्तबा असफल प्रयास कर चुके है और आये दिन लडाई झगडा करते है। दिनांक 9.8.13 को जब वादी अपनी उक्त भूमि की देखरेख करने मौके पर गया तो प्रतिवादीगण एकजुट होकर के मौके पर आ गये और वादी को धमकियॉ दी कि हम तुम्हे तुम्हारी जमीन पर काश्त नही करने देगे तब वादी ने समझाइश की तथा दखल नही करने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कहा कि हम तुम्हे काश्त नही करने देगे तथा प्रतिवादीगण ने यह भी कहा की हम उक्त भूमि पर कब्जा करेगे और इस पर खडे पेडों की कटाई भी करेगे। प्रतिवादीगण की उक्त धमकियों से यह स्पष्ट हो गया कि वह कभी भी वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर सकते है और वादी की काश्त में दखल उत्पन्न कर सकते है। अतः वादी की उक्त रिकार्डेड गैर खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम रूपवास तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 94/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 302 है मे वादी के कब्जे काश्त में तथा उसके गैर खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें, वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नही करे तथा वादी को बेदखल करने का प्रयास नही करें, उक्त भूमि पर से पेडों को नही काटे अन्य अनुतोष जो मुनासिफ वादी के हक में हो वादी को दिलवाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2, 3, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने वकालतनामा दिनांक 08.10.13 को पेश किया तथा प्रतिवादीगण सं0 4,6,7,9,11,15 के विरूद्व दिनांक 08:10.13 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 4,6,7,9,11,15 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादी सं0 5,10,12,13,14 के विरूद्व भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.01.2025 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी सं0 2, 3, 8 ने जवाब पेश नही किया। अतः दिनांक 13.01.25 को जवाब बन्द किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई व्यादेश को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान व शेष प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम रूपवास, पटवार हल्का रूपवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 94/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 302 रकबा 0.81है0 में वादी के कब्जे काश्त में तथा उसके गैर खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें, वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नही करे तथा वादी को बेदखल करने का प्रयास नही करें, उक्त भूमि पर से पेडों को नही काटे। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 16/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर